

फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/निर्देश/01/2021-22

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड

[जीएसटी – अन्वेषण प्रकोष्ठ]

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल, 2021

सेवा में:

प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई] , नई दिल्ली/सभी डीजी (एसएनयू), डीजीजीआई।

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी, सभी जोन।

महोदय / महोदया,

सीजीएसटी की क्षेत्रीय इकाइयाँ नियमित रूप से जीएसटी अपवंचन/ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) सुविधा के दुरुपयोग के मामलों का पता लगाते हैं। इनमें से कई मामलों में सार्वजनिक सरकारी राजस्व शामिल है और इसमें प्रमुख व्यापारिक घरानों या संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हैं।

2. हालांकि, जीएसटी चोरी / आईटीसी के दुरुपयोग के इन मामलों का पता चलने के बाद, आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है और कभी-कभी क्षेत्रीय संरचनाएं भी जोनल सदस्य या सदस्य (अन्वेषण) को यूओ नोट्स के माध्यम से प्रमुख मामलों के बारे में सूचित करते हैं, पर मामलों का पता लगाना और उनकी रिपोर्टिंग करने में काफी अंतराल होता है। नतीजतन, यह देखा गया है कि राजस्व सचिव या बोर्ड को ऐसे मामलों का पता तब चलता है जब यह समाचार चैनलों या सोशल मीडिया पर पहले ही आ चुका होता है। ऐसी स्थिति बोर्ड के लिए उचित नहीं होती है और इससे पूरी तरह से बचे जाने की जरूरत है।

3. अतः यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि निरीक्षण, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा किए बिना, जिसमें कभी-कभी एक या दो दिन से भी ज्यादा समय लग जाता है, सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों में, अध्यक्ष के साथ-साथ जोनल सदस्य/सदस्य (अन्वेषण) को प्रारंभिक रिपोर्ट भेजकर तुरंत सूचित किया जाए। औपचारिक विस्तृत रिपोर्ट नियत समय में भेजी जा सकती है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही

महत्वपूर्ण है कि निरीक्षण, तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान किसी के द्वारा फोन, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रेस या किसी बाहरी एजेंसी को कुछ भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह आधिकारिक तौर पर प्रेस नोट जारी करके या अन्य तरीके से बताया नहीं जाता है।

भवदीय,

ह/-

आयुक्त [जीएसटी - अन्वेषण], सीबीआईसी

दूरभाष सं. 011-21400623

ईमेल आईडी: gstinv-cbic@gov.in